**भारत सरकार**

**कृषि मंत्रालय**

**कृषि एवं सहकारिता विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 1102**

**23 मार्च, 2012 के लिए उत्‍तरार्थ**

**विषय: आत्‍महत्‍या की दृष्‍टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए पुनर्वास पैकेज**

**1102. श्री राजीव प्रताप रूडी:**

**क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्‍या आत्‍महत्‍या की दृष्‍टि से संवेदनशील क्षेत्रों/जिलों के लिए कोई पुनर्वास पैकेज लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या सरकार ने इस बात की जांच के लिए कोई तंत्र विकसित किया है कि इस पैकेज के परिणामस्‍वरूप

 आत्‍महत्‍या के मामलों में कमी आई या नहीं; और

(घ) क्‍या सरकार देश के शेष भाग में ऐसा ही पैकेज लाने की योजना बना रही है?

**उत्‍तर**

**कृषि मंत्री (श्री शरद पवार)**

(क) से (ग): वर्ष 2006 में, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश (16), कर्नाटक (6), केरल (3) और महाराष्‍ट्र(6) में 31 अभिज्ञात जिलों के लिए 16978.69 करोड़ रूपए के पुनर्वास पैकेज का अनुमोदन किया। पुनर्वास पैकेज में 3 वर्षों की अवधि में कार्यान्‍वित किए जाने वाले तत्‍काल तथा मध्‍यावधि दोनों तरह के उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्‍य किसानों को ऋण राहत के मध्‍यम से एक सतत व व्‍यवहार्य खेती और आजीविका समर्थन प्रणाली की स्‍थापना किया जाना, संस्‍थागत ऋण की उन्‍नत आपूर्ति, कृषि के लिए फसल केंद्रिक दृष्‍टिकोण, सुनिश्‍चित सिंचाई सुविधाएं, पनधारा प्रबंधन, बेहतर विस्‍तार व खेती समर्थन सेवाएं, उन्‍नत विपणन सुविधाएं तथा बागवानी, पशुधन, डेयरिंग, मात्‍स्‍यिकी आदि के जरिए आय के सहायक अवसर था। किसानों के ऋण से दबे परिवारों द्वारा सामना की गईं मुश्‍किलों का शमन किए जाने के लिए प्रति जिला 50 लाख रूपए की दर पर प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय राहत निधि से अनुग्रह सहायता का प्रावधान भी पुनर्वास पैकेज में किया गया था। पैकेज के गैर-ऋण घटकों के कार्यान्‍वयन की समय सीमा को 2 वर्षों अर्थात् 30-09-2011 तक बढ़ाया गया था। पैकेज की कार्यान्‍वयन अवधि 30.9.2011 को समाप्‍त हो गई है। इस पैकेज के तहत 30.6.2011 तक 19910.70 करोड़ रूपए की धनराशि जारी की गई है।

 सरकार ने केरल में कुट्टानाड नमभूमि पारिस्‍थितिकी प्रणाली के विकास के लिए पैकेज तथा इदुक्‍की जिले में कृषि संबंधी विपत्‍तियों के प्रशमन के लिए पैकेज अनुमोदित किया जो कार्यान्‍वयन के विभिन्‍न चरणों में है।

 पुनर्वास पैकेज के कार्यान्‍वयन की प्रगति को लगातार मानिटर किया जाता है। राज्‍य द्वारा यथा सूचित कृषि संबंधी कारणों से किसानों द्वारा की जाने वाली आत्‍महत्‍याओं की संख्‍या में पुनर्वास पैकेज के कार्यान्‍वयन के समय से कमी आई है।

(घ): पुनर्वास पैकेज के अनुमोदन व कार्यान्‍वयन के समय से, भारत सरकार ने कई व्‍यापक उपाय शुरू किये हैं जिनका उद्देश्‍य कृषि क्षेत्र का पुनरूद्धार किया जाना है जिसमें अन्‍य बातों के साथ-साथ, राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्‍ट्रीय सूक्ष्‍म-सिंचाई मिशन आदि शुरू किया जाना शामिल है जिनसे कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में निवेश उत्‍पादकता तथा उत्‍पादन बढ़ेगा और किसान लाभान्‍वित होंगे। देश के शेष क्षेत्रों में इसी तरह का पैकेज शुरू किए जाने की कोई योजना नहीं है।